

सं.एन-11027/19/2015-एचएफए.2 (एफटीएस-13988)

भारत सरकार

आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय

एचएफए-1 प्रभाग

कक्ष सं., 219-जी निर्माण

भवन, नई दिल ली

दिनांक 9 नवंबर, 2015

1. समस्त राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव (सूची-I)
2. प्रधान सचिव/सचिव (पीएमएवाई- सबके लिए आवास (शहरी) मिशन हेतु नोडल विभाग) (सूची-II)

**विषय: प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) – सबके लिए आवास (शहरी) – सबके लिए आवास (शहरी) मिशन के दिशा निर्देशों में संशोधन के संदर्भ में**

महोदय/महोदया,

मुझे मंत्रालय के पत्राचार सं. एन-11026/06/2014-पीपीजी/एफटीएस-11733 दिनांक 26 जून, 2015 का उल्लेख करने कर निर्देश मिला है जिसमें पीएमएवाई- सबके लिए आवास (शहरी) मिशन के शुभारंभ के बारे में अवगत कराया गया है। उस पत्र के साथ इस योजना के दिशानिर्देश भी परिचालित किए गये थे। इसके पश्चात मंत्रालय के पत्राचार सं. एन-11027/19/2015-एचएफए1/एफटीएस-12985 दिनांक 22.09.2015 के माध्यम से दिशानिर्देशों के लिए गये कुछ निर्देश भी परिचालित किए गये थे।

2. प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) – सबके लिए आवास (शहरी) मिशन के अनुच्छेद 2.1 में यह उल्लेख है कि इस मिशन के अंतर्गत वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार समस्त 4041 सांविधिक शहर होंगे। हालांकि अनेक राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने मंत्रालय से इस मिशन के तहत सांविधिक शहरों की सीमा बढ़ाने के साथ सांविधिक शहर के योजना क्षेत्र के समावेशन का अनुरोध किया है।

3. उपरोक्त पर विचार करते हुए सक्षम प्राधिकारी ने निर्णय लिया है कि इन दिशा निर्देशों के अनुच्छेद 2.1 के नीचे निम्नलिखित नोट समाविष्ट करते हुए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) – सबके लिए आवास (शहरी) मिशन संशोधन किया जाय:-

‘नोट: राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों को योजना क्षेत्र को मिशन में शामिल करने की नम्यता रखनी होगी जैसा कि सांविधिक शहर एवं संबंधित नगर पालिका क्षेत्र के आस-पास के संबंध में अधिसूचित है।

4. समस्त राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें अपनी ओर से समुचित कार्रवाई हेतु इस संशोधन पर ध्यान दें चूंकि योजना के संशोधित दिशानिर्देश यथासमय जारी किए जाएंगे।

भवदीय,

ह/-

(आर.एस. सिंह)

निदेशक (एचएफए-1)

टेलीफैक्स: 011-23062279

प्रतिलिपि:

सीएसएमसी के सदस्य (सूची-III के अनुसार)

प्रतिलिपि:

1. केंद्रीय मंत्रालय/विभागों के सचिवगण (सूची-IV के अनुसार)

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1. पीएमओ (सुश्री देबाश्री मुखर्जी, संयुक्त सचिव), साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली-110011
2. संयुक्त सचिव (पीपी), अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय, कक्ष सं. 1125, 11वां तल, पर्यार्वरण भवन, सीजीओ कांपलैक्स, नई दिल्ली
3. संयुक्त सचिव (पीएफ), वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
4. संयुक्त सचिव (यूटी), गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

प्रतिलिपि (आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय एवं इसके संगठनों में अधिकारीगण)

1. पीएस, माननीय मंत्री (यूडी, एचयूपीए एंड पीए)
2. पीएस, माननीय राज्य मंत्री (यूडी, एचयूपीए एंड पीए)
3. पीपीएस, सचिव (एचयूपीए)
4. संयुक्त सचिव (एच), मोहूपा
5. संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, मोहूपा, निर्माण भवन, नई दिल्ली
6. आर्थिक सलाहकार, मोहूपा
7. डीजी एंड निदेशक (एनबीओ) निर्माण भवन
8. निदेशक (यूपीए), मोहूपा
9. डीएस (एचएफए-2/3), मोहूपा
10. ईईए (कनिष्ठ पीसी) एनबीओ, निर्माण भवन
11. डीएस (प्रशासन) मोहूपा
12. डीएस (समन्वय) मोहूपा
13. ईईए (कनिष्ठ पीसी) एनबीओ, निर्माण भवन
14. मोहूपा के समस्त अवर सचिवगण
15. मोहूपा के समस्त अनुभाग अधिकारीगण
16. एओ (जेएनएनयूआरएम) मोहूपा
17. डीसी (एमआईएस), निगरानी प्रकोष्ठ (जेएनएनयूआरएम) मोहूपा
18. सीएमडी, हडको, हडको भवन, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड, नई दिल्ली
19. सीएमडी, राष्ट्रीय आवास बैंक, कोर 5ए, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड, नई दिल्ली
20. सीएमडी, एनबीसीसी, एनबीसीसी भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली
21. सीएमडी, एचपीएल, जंगपुरा, नई दिल्ली
22. कार्यपालक निदेशक, बीएमटीपीसी, कोर 5ए, प्रथम तल, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड, नई दिल्ली
23. निदेशक (कॉर्पोरेट प्लानिंग) हडको, हडको भवन, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
24. गार्ड फोल्डर

ह/-

(आर.एस. सिंह)

निदेशक (एचएफए-1)

टेलीफैक्स: 011-23062279